न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1414/2026
मैरवा थाना कांड सं0–128/2026 से उत्पन्न
अंतर्गत धारा–20(B)IIB,21(b),29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

सम्राट सिंह उर्फ राहुल सिंह.. आवेदक/अभियुक्त
बनाम
बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक .... विपक्षी

उपस्थितः–श्री राजेश कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्त की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

03.08.2026

आवेदक/अभियुक्त सम्राट सिंह उर्फ राहुल सिंह की ओर से सिवान जामो बाजार थाना कांड संख्या 29/2026, अंतर्गत धारा–20(B)IIB,21(b),29 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

जमानत आवेदन सुनवाई के समय विपक्षी पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक न्यायालय में उपस्थित है किन्तु बार–बार पुकार करने पर भी आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अभिलेख अवलोकन किया, जिससे विदित है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 25.05.2026 को दाखिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अपने दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को विगत तिथि 07.07.2026, 15.07.2026, 18.07.2026, 25.07.2026, 30.07.2026 को भी संचालन वो सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक/अभियुक्त को इस अग्रिम जमानत आवेदन के संचालन वो सुनवाई में कोई रूची नहीं रह गयी है। तद्नुसार, विचारोंपरान्त यह जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सिवान।